

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

सेवा में,

प्रबन्धक

एस0एस0 पब्लिक स्कूल सिद्धीकपुर
करंजाकला, जौनपुर।

पत्रांक/मान्यता/ 9930

/2018-19 दिनांक 4.8.2018

विषय: नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग-6 आदेश संख्या -419/ 79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013, शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक/शिनो(बे0)/13334-13430/2018-19 दिनांक 30.05.2018, अपर शिक्षा निदेशक(शिविर), शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ एवं सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पत्रांक शिविर/1728/2018-19 दिनांक 13.07.2018 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में गठित समिति के निर्णय दिनांक 02.08.2018 के अनुक्रम में आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निर्णय के प्रति निर्देश से एस0एस0 पब्लिक स्कूल सिद्धीकपुर करंजाकला, जौनपुर को 04.08.2018 से 03.08.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनन्तम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है -

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिए एक पृथक बैंक खाता इखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी भी पालन को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय में निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:श्वकशता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती की अधिनियम की धारा 23 (1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन-क्रिया कलापो में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है -
 - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।
 - कुल निर्मित क्षेत्रफल।
 - क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल।

Arzali Singh
Manager

S.S. Public School
Siddiqpur, Jaunpur



कक्षाओं की संख्या ।

प्राध्यापक-सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्षा ।

बालकों और बालिकाओं के पृथक शौचालय ।

पेय जल सुविधा ।

मीड-डे-मील पकाने के लिए रसोई ।

बाधा रहित पहुच ।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता ।

- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये और नही चलाई जायेंगी।
- 10- विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं के प्रयोजनाओं के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह का संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए । और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक X है । कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत अनुपालन सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जायेगा।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18- मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात /अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 19- विद्यालय संचालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तन्त्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा ।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

पृ0सं0/मान्यता /

/2017-18 दिनांक-उक्तवत ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
- 2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
- 3- खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड /नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुन निरीक्षण कर ले और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर ले, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र कियारील तथा शासनादेश दिनांक 8.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
- 4- कार्यालय प्रति ।

(राजेन्द्र सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

Arabi Singh
Manager

S.S. Public School
Siddiqpur, Jaunpur





Affiliation No. : 2132085

SUSHILA SINGH SHIKSHA SANSTHAN

S S PUBLIC SCHOOL

A Co-Educational School, Affiliated to CBSE New Delhi for Senior Secondary Education (10+2)



Ref.:

Date :

TO WHOM-SO-EVER IT MAY CONCERN

This is to inform that S S Public School, Siddiqpur, Jaunpur has already got RTE Recognition from the State Education Department w.e.f. 04/08/2018 and as per **Uttar Pradesh Government's G.O. No -419/79-6-2013-18 (20)/91 dated 8th May 2013** that provisional recognition will be given for three years. During this period in case no fact is established to contradict the rules of recognition, then after the completion of three years period it will be deemed that the school has got permanent recognition.

The S S Public School, Siddiqpur, Jaunpur has not contradicted any rules of recognition. Hence S S Public School, Siddiquepur, Jaunpur is now permanently RTE Recognized as per **Uttar Pradesh Government's G.O. No -419/79-6-2013-18 (20)/91 dated 8th May 2013.**


Arati Singh
Manager
S.S. Public School
Siddiqpur, Jaunpur



Siddiqpur, Jaunpur-222003

email : sspinp@yahoo.com website : sspublicschooljnp.com

Mob.: 9453567111, 7380691111